भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3006

मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता</u>

3006. डॉ. एल. हनुमंतय्या:

श्री रिपुन बोरा:

श्रीमती फूलो देवी नेतम: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौर ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा जैसे विभिन्न स्रोतों की अपनी-अपनी क्षमताओं सहित वर्ष 2014 से अब तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की वर्ष-वार क्षमता कितनी रही है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2019 में नीति आयोग की 'अभिनव भारत @ 75 के लिए कार्यनीति' रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट तक बढ़ाये जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नवीकरणीय उद्योग संबंधी कम से कम 80 प्रतिशत निर्यात चीन से किया जाता है, नवीकरणीय उद्योग में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) वर्ष 2014 से देश में अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता में वृद्धि के वर्ष-वार और स्रोत-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष 2014 से देश में अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता में वृद्धि के वर्ष-वार और स्रोत-वार ब्यौरे (मेगावाट में)				
स्रोत	सौर	पवन	लघु पन बिजली	बड़ी पन बिजली
2014-15	1171.62	2311.78	251.61	736.02
2015-16	3130.36	3423.05	218.60	1515.99
2016-17	5658.63	5502.37	105.90	1695.0
2017-18	9563.69	1865.22	105.95	815.0
2018-19	6750.97	1480.97	107.41	105.80
2019-20	6510.06	2117.79	90.0	300.0
2020-21	5628.78	1503.30	103.65	510.0
2021-22	9541.75	882.73	53.09	315.30

(ख) दिनांक 28.02.2022 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 152.90 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 59.95 गीगावाट क्षमता (बड़ी पन बिजली को छोड़कर) की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 21.11 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है जिनमें शामिल हैं:

सौर ऊर्जा:

(i) इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-शिप्स)।
(ii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मोड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।
(iii) अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक खरीद में 'मेक इन इंडिया' को वरीयता।
(iv) सीपीएसयू चरण-II, पीएम-कुसुम, सौर रूफटॉप चरण-II आदि जैसी योजनाओं के तहत घरेलू सामग्री (डीसीआरए) की आवश्यकता।
(v) सौर पीवी सेलों एवं मॉड्यूलों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क लगाना।
(vi) सीमा शुल्क रियायती लाभ समाप्त करना।

पवन ऊर्जा:

(vii) सरकार ने मॉडलों और निर्माताओं की संशोधित सूची की प्रणाली शुरू की है और केवल सूची में निर्माताओं द्वारा निर्मित सामग्री के उपयोग की अनुमति पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दी गई हैं। इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि हब और नेशले एसेम्बली/निर्माण सुविधा भारत में होगी। 70 प्रतिशत से अधिक पवन सामग्री का निर्माण भारत में किया जाता है।

*****